केरल राज्य

बनाम

वैरी रेवरेण्ड मदर प्रॉविन्शियल

(The State of Kerala

Vs.

Very Rev. Mother Provincial)

(10 अगस्त, 1970)

(मुख्य न्यायाधिपति एम० हिदायतुल्लाह, न्या० जे० सी० शाह, के० एस० हेगडे, ए० एन० ग्रोवर, ए० एन० रे और आई० डी० दुआ)

केरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1969 (1969 का 9)—धारा 48(2),(4) और (6), 49(2), (4) और (6), 53(1) (2), (3) और (9), 56(2) और (4), 58 और 63—ये धाराएं अल्पसंख्यक संस्थाओं के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधिकारातीत हैं।

संविधान—अनुच्छेद 30(1)—केरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1969 (1969 का 9) की धारा 48, 49, 53, 56, 58 और 63 अल्पसंख्यक संस्थाओं के सम्बन्ध में अनुच्छेद 30(1) के अधिकारातीत हैं।

संविधान—अनुच्छेद 31(2) और (2क), 31क(1) (ख)—केरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1969 (1969 का 9) की धारा 63(1)—अनुच्छेद 31 के अधिकारातीत है।

संविधान—अनुच्छेद 19(1) (च)—केरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1969 (1969 का 9) की धारा 63 के उपबन्ध, जिनसे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है, दोनों प्रकार की संस्थाओं के सम्बन्ध में अनुच्छेद 19(1) (च) के अधिकारातीत हैं।

केरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1969 केरल राज्य के दक्षिणी जिलों के लिए अध्यापन, आवासी और सम्बन्धन विश्वविद्यालय स्थापित करने की दृष्टि से केरल विश्वविद्यालय को पुनर्गठित करने के लिए पारित किया गया था। इसके कुछ

उपबंधों से प्राइवेट कालेजों, विशेषतया राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संस्थापित कालेजों पर प्रभाव पड़ा था। उन समुदायों के सदस्यों ने उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल करके उनकी संवैधानिक विधिमान्यता को चुनौती दी है।

पिटीशनों में मुख्यतया चुनौती केरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1969 के अध्याय 8 और 9 में अन्तर्विष्ट उपबंधों को दी गई है। धारा 48 और 49 द्वारा किसी 'शैक्षणिक अभिकरण' से, जो किसी प्राइवेट कालेज की स्थापना और अनुरक्षण करता है, अथवा 'निगमित प्रबन्ध' से, जो एक से अधिक प्राइवेट कालेजों का प्रबन्ध करता है, यह अपेक्षित है कि वह प्राइवेट कालेज के लिए शासी निकाय या एक निगमित प्रबन्ध के अधीन प्राइवेट कालेजों के लिए प्रबन्ध परिषद् की स्थापना करे। इन धाराओं में दो प्रकार के निकायों के गठन का उपबन्ध किया गया है जो प्राइवेट कालेजों के प्राधानाचार्यो और प्रबन्धकों तथा विश्वविद्यालय और सरकार के नामनिर्देशितियों तथा अध्यापकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा मिल कर बनते हैं। उपधारा (2) में यह उपबन्धित है कि नए निकाय शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाले निगमित निकाय होंगे। उपधारा (4) में यह उपबन्धित है कि सदस्य चार वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और दोनों धाराओं की उपधारा (5) के अधीन नए शासी निकाय या प्रबन्ध परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार प्राइवेट कालेज या कालेजों का 'प्रशासन करें'। दोनों धाराओं की उपधारा (6) में यह अधिकथित किया गया है कि नए निकायों की शक्तियां और कर्त्तव्य, उनके सदस्यों को हटाया जाना और उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया कानूनों द्वारा विहित किए जाएंगे।

पिटीशनरों ने इन दोनों धाराओं के उपबन्धों को तथा अन्य उपबन्धों के साथ-साथ (क) धारा 53 की उपधारा (1), (2), (3) और (9) को, जिनमें विश्वविद्यालय के सिण्डिकेट को शासी निकाय या प्रबन्ध परिषद् के विनिश्चयों को प्रतिनिषिध करने की शक्ति प्रदत्त की गई है और उनकी कार्रवाई से व्यथित किसी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है; (ख) धारा 56 को, जिसमें अध्यापकों के सम्बन्ध में अनुशासनिक मामलों में अन्तिम शक्ति विश्वविद्यालय और सिण्डिकेट को प्रदत्त की गई है; (ग) धारा 58 को, जिसमें अध्यापक बने रहने के लिए राज्य की विधानसभा या संसद् के सदस्य न होने की शर्त को हटा दिया गया है, तथा (घ) धारा 63(1) को, जिसमें यह उपबन्धित है कि जब कभी सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी प्राइवेट कालेज के कामकाज में कोई गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है तब वह अन्य बातों के साथ-साथ

विश्वविद्यालय को अस्थायी कालावधि के लिए ऐसे प्राइवेट कालेज के कामकाज का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त कर सकेगी, चुनौती दी थी। यह दलील दी गई थी कि नए ऐक्ट के ये उपबन्ध अनुच्छेद 30 का, जो अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, तथा अनुच्छेद 19(1) (च) और 14 का अतिक्रमण करते हैं।

उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन मंजूर कर लिए और ऐक्ट के कुछ उपबन्धों को अविधिमान्य घोषित कर दिया। इस पर इस न्यायालय से अपील की गई।

अभिनिर्धारित—उच्च न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि धारा 48 और 49 की उपधारा (2) और (4) अनुच्छेद 30 (1) के अधिकारातीत हैं। इन दोनों धाराओं की उपधारा (6) भी अधिकारातीत है। इनसे अन्य दो उपधाराओं के मुकाबले में अधिक अतिक्रमण होता है जिनका वे भाग हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी ठीक ही घोषित किया है कि धारा 53 की उपधारा (1), (2), (3) और (9) धारा 56 की उपधारा (2) और (4) अधिकारातीत हैं क्योंकि वे धारा 48 और 49 के अन्तर्गत आती हैं; कि धारा 58 (जहां तक कि इससे ऐसी निरर्हता हटती हो, जिससे संस्थापक सहमत नहीं होना चाहेंगे) तथा धारा 63 अल्पसंख्यक संस्थाओं के सम्बन्ध में अनुच्छेद 30(1) के अधिकारातीत है। (पैरा 20)

अनुच्छेद 30(1) में दो अधिकार अनुध्यात हैं जो क्रमानुसार अलग-अलग हैं। पहला अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग की रुचि के अनुसार संस्थाओं की स्थापना का आरंभिक अधिकार है। यह बात विसंगत है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के अन्य लोग या बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी इन संस्थाओं का फायदा उठा सकते हैं। इस अधिकार का दूसरा भाग ऐसी संस्थाओं के प्रशासन से सम्बन्धित है। प्रशासन से संस्था के 'कामकाज का प्रबन्ध' अभिप्रेत है। ऐसा प्रबन्ध नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए जिससे कि संस्थापक या उनके नामनिर्देशिती संस्था को जैसा वह उचित समझे और अपने उन विचारों के अनुसार ढाल सकें कि किस प्रकार साधारणतया समुदाय के और विशेषतया उस संस्था के हितों को अच्छी प्रकार लाभ हो सकता है। लेकिन इसका एक अपवाद है और वह यह है कि शिक्षा के स्तर यों प्रबन्ध का भाग नहीं हैं। (पैरा 8, 9 और 10)

1970(8) eILR(PAT) SC 13

• धारा 63 की उपधारा (1) अधीन सम्पत्तियों के कब्जे का अधिकार विश्वविद्यालय को अन्तरित किया गया है। उच्च न्यायालय ने यह संकेत ठीक ही किया है कि इस धारा में अनुच्छेद 31(2) और (2क) के अन्तर्गत सम्पत्तियों की अनिवार्य अध्यपेक्षा का उपबन्ध किया गया है। इसके प्रभावपूर्ण होने के लिए धारा में उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है और वह अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसलिए अनुच्छेद 31क(1)(ख) की व्यावृत्ति उपलभ्य नहीं है। (पैरा 18)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1969]	(1969) 2 एस० सी० आर० 73 = [1969] 1 उम० नि० प० 843 : **रेवरेण्ड फादर डब्ल्यू० प्रूस्ट और अन्य बनाम बिहार राज्य** (Rev. Father W. Proost and Others *Vs.* The State of Bihar);	10
[1966]	(1966) 3 एस० सी० आर० 328 : **कटरा एजूकेशन सोसाइटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** (Katra Education Society *Vs.* The State of Uttar Pradesh and Others);	10
[1963]	(1963) सप्लीमेण्ट 1 एस० सी० आर० 112 : **गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद बनाम कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर और अन्य** (Gujarat University, Ahmedabad *Vs.* Krishna Ranganath Mudholkar and Others);	10
[1963]	(1963) 3 एस० सी० आर० 837 : **सिधराजभाई बनाम गुजरात राज्य** (Sidhrajbhai *Vs.* The State of Gujarat);	10
[1959]	(1959) एस० सी० आर० 995 : **केरल एजुकेशन बिल, 1957 का मामला** (*In re.* the Kerala Education Bill, 1957);	10

[1955] (1955) 1 एस० सी० आर० 568 :
मुम्बई राज्य बनाम बॉम्बे एजूकेशन सोसाइटी
(The State of Bombay *Vs.* Bombay Education Society); और 19

[1951] (1951)1 एस० सी० आर० 525 :
मद्रास राज्य बनाम एस० सी० दोराएराजन
(The State of Madras *Vs.* S. C. Dorairajan). 10

सिविल अपीली अधिकारिता : 1969 की सिविल अपील संख्या 2598 से 2600 और 1970 की सिविल अपील संख्या 21 से 53, 155 से 190, 200 से 203, 273 और 324.

1969 के आरम्भिक पिटीशन संख्या 1456 में केरल उच्च न्यायालय के तारीख 19 सितम्बर, 1969 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपीलें।

अपीलार्थी की ओर से (1969 की सिविल अपील संख्या 2598 से 2600 और 1970 की सिविल अपील संख्या 21 से 53 में) — सर्वश्री मोहन कुमारमंगलम्, के० एस० पारीपूरणम्, आर० के० गर्ग, एस० सी० अग्रवाल और एम० आर० के० पिल्लई

प्रत्यर्थी की ओर से (1970 की सिविल अपील संख्या 155 से 190, 199, 200 से 203, 273 और 324 में) — सर्वश्री मोहन कुमारमंगलम्, के० एस० पारीपूरणम्, और एम० आर० के० पिल्लई

अपीलार्थी की ओर से (1970 की सिविल अपील संख्या 200 से 202 में), **प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से** (1969 की सिविल अपील संख्या 2598 से 2600 में) **प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से** (1970 की सिविल अपील — सर्वश्री ए० के० सेन०, पी० सी० चण्डी, जोसेफ विठियाथिल, कुमारी भुवनेश, सर्वश्री आर० एन० बैनर्जी, जे० बी० दादाचांजी, ओ० सी० माथुर और रविन्द्र कुमार

संख्या 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 39, 43, 52, 156 से 158, 187, 160 से 164, 167, 168, 172, 173, 170, 165 से 181, 183, 186 और 189 में)	
अपीलार्थी की ओर से (1970 की सिविल अपील संख्या 203 में) और प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से (1970 की सिविल अपील संख्या 48 और 184 में)	सर्वश्री फ्रैंक एन्थोनी, पी० सी० चण्डी, जोसेफ विठियाथिल, ई० सी० अग्रवाल, कुमारी भुवनेश सर्वश्री आर० एन० बैनर्जी, जे० बी० दादाचांजी, ओ० सी० माथुर और रविन्द्र नारायण
प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से (1970 की सिविल अपील संख्या 23 और 159 में)	सर्वश्री फ्रैंक एन्थोनी, पी० सी० चण्डी, ए० टी० एम० सम्पथ, एस० आर० अग्रवाल और ई० सी० अग्रवाल
अपीलार्थी की ओर से (1970 की सिविल अपील संख्या 199 में) और प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से (1970 की सिविल अपील संख्या 174 और 185 में)	सर्वश्री एम० सी० सीतलवाड, वी० ए० एस० मुहम्मद और ए० एस० नम्बियार
अपीलार्थी की ओर से (1970 की सिविल अपील संख्या 273 में)	सर्वश्री एम० सी० सीतलवाड और ए० श्रीधरन नम्बियार
प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से 1970 की सिविल अपील संख्या 38 में)	श्री ए० श्रीधरन नम्बियार
अपीलार्थी की ओर से (970 की सिविल अपील संख्या 324 में) और प्रत्यर्थी	श्री आर० गोपालकृष्णन्

1970(8) eILR(PAT) SC 13

संख्या 1 की ओर से (7190 की सिविल अपील संख्या 33 में)	
अपीलार्थी की ओर से (1970 की सिविल अपील संख्या 155 से 190 और 199 में) और **प्रत्यर्थी की ओर से** (1969 की सिविल अपील संख्या 2598 से 2600 और 1970 की सिविल अपील संख्या 21 से 53, 200 से 203, 273 और 324 में)	सर्वश्री एम० के० नम्बियार, एन० ए० सुब्रामणियन् और पी० के० पिल्लई
मध्यक्षेपी की ओर से (1970 की सिविल अपील संख्या 199 से 203 में)	सर्वश्री ए० एस० आर० चारी, एन० सुधाकरन और के० एम० के० नायर

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधिपति एम० हिदायतुल्लाह ने दिया।

मुख्य न्यायाधिपति हिदायतुल्लाह—

संविधान के अनुच्छेद 132(1) और 133(1)(ग) के अधीन केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्र से ये अपीलें तारीख 19 सितम्बर, 1969 वाले एक ही निर्णय के विरुद्ध की गई हैं जिसमें केरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1969 (1969 का 9) के कुछ उपबधों को भारत के संविधान के अधिकारातीत घोषित किया गया था जब कि शेष ऐक्ट को विधिमान्य माना गया था। इन अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई थी। इस निर्णय से सभी अपीलों का निपटारा हो जाएगा। ऐक्ट की विधिमान्यता को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन 36 पिटीशनों में विभिन्न पिटीशनरों द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। ऐक्ट के कुछ भागों को संविधान के अधिकारातीत घोषित किया गया था। उसके परिणामस्वरूप प्रतीप अपीलें की गई थीं। विभिन्न पिटीशनरों के विरुद्ध केरल राज्य द्वारा 36 अपीलें फाइल की गई हैं। 36 अन्य अपीलें केरल विश्वविद्यालय द्वारा फाइल की गई हैं। केरल विश्वविद्यालय और केरल सरकार का हेतुक एक ही है। सात अपीलें सात मूल पिटीशनों द्वारा फाइल की गई हैं जो यह घोषणा चाहते हैं कि ऐक्ट के कुछ अन्य उपबन्ध भी, जिन्हें उच्च न्यायालय ने विधिमान्य घोषित किया है, शून्य हैं।

2. केरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1969 [जिससे केरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1957 (1959 का 14) निरसित किया गया था और जो उसके स्थान पर रखा गया था] केरल राज्य के दक्षिणी जिलों के लिए अध्यापन, आवासीय और सम्बन्धन विश्वविद्यालय स्थापित करने की दृष्टि से केरल विश्वविद्यालय को पुनर्गठित करने के लिए पारित किया गया था। इसके कुछ उपबंधों से प्राइवेट कालेजों, विशेषतया राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संस्थापित कालेजों पर प्रभाव पड़ा था। परिणामत: उन्हें अनेक आधारों पर चुनौती दी गई थी। इन पिटीशनों को उच्च न्यायालय में समेकित किया गया था और उनका अपीलाधीन निर्णय और आदेश द्वारा विनिश्चय किया गया था।

3. इन अपीलों पर बहस आरंभ करने से पूर्व हम उनके सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहेंगे। 33 पिटीशनर ईसाई समुदाय के विभिन्न सम्प्रदायों के हैं; 8 पिटीशनर विभिन्न कैथलिक रिलीजस कांग्रीगेशन्स के सुपीरियर हैं; 8 पिटीशनर अपने-अपने डॉइअसेस का प्रतिनिधित्व करने वाले कैथलिक बिशप हैं; 3 पिटीशर कैथलिक पेरीशों के विकार हैं, 5 पिटीशनर कालेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए विभिन्न कैथलिक सम्प्रदायों द्वारा गठित बोर्ड ऑफ ऐसोसिएशन्स हैं और 3 पिटीशनर मलंकारा आर्थोडक्स चर्च के बिशप हैं। चार पिटीशन मारथोमा सीरियन चर्च के मेट्रोपोलिटन द्वारा फाइल किए गए हैं और दो पिटीशन चर्च ऑफ साउथ इण्डिया के मध्य केरल डॉइअसेस द्वारा फाइल किए गए हैं। शेष तीन पिटीशन क्रमश: श्री शंकर कालेज एसोसिएशन कलाडी, श्री नारायण ट्रस्ट्स क्विलान और नायर सर्विस सोसायटी चन्गन्नचेरी द्वारा संस्थापित और प्रशासित प्राइवेट कालेजों द्वारा फाइल किए गए हैं। इन 33 पिटीशनों के पिटीशनरों ने प्रतिशोध के लिए विनिर्दिष्टतया संविधान के अनुच्छेद 30 के उपबंधों की याचना की है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का संरक्षण दिया गया है। सभी 36 पिटीशनों में प्रतिशोध के लिए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च), 31 और 14 की याचना की गई है।

4. आक्षेपित ऐक्ट की 78 धाराएं हैं और वह 9 अध्यायों में विभाजित हैं। पिटीशनों में मुख्य आक्षेप अध्याय 8, जिसका शीर्षक है "प्राइवेट कालेज" और जिसमें धारा 47 से 61 शामिल हैं, तथा अध्याय 9 के कुछ उपबंधों, विशेषतया धारा 63, के विरुद्ध किया गया है। उच्च न्यायालय ने यह घोषित किया है कि धारा 48 की उपधारा (2) और (4), धारा 49 की उपधारा (2) और (4), धारा 53 की उपधारा (1), (2) और (3), धारा 56 की उपधारा (2) और (4), धारा 58 (कुछ हद तक के सिवाए) अनुच्छेद 19(1)(च) का

अतिक्रमण करती है जहां तक कि नागरिक पिटीशनरों का सम्बन्ध है और इसके अतिरिक्त जहां तक अल्पसंख्यक संस्थाओं का सम्बन्ध है, अनुच्छेद 30(1) का अतिक्रमण करती हैं और इसलिए शून्य हैं। अतः श्री शंकर कालेज एसोसिएशन और नायर सर्विस सोसायटी द्वारा फाइल किए गए दो पिटीशनों (1969 के आरम्भिक पिटीशन संख्या 2339 और 2796) के सिवाय सभी पिटीशन मंजूर किए गए थे क्योंकि पिटीशनर कम्पनियां हैं और वे अल्पसंख्यक संस्थाएं न होने के कारण अनुच्छेद 30(1) का फायदा पाने के हकदार नहीं हैं और नागरिक न होने के कारण अनुच्छेद 19(1)(च) का फायदा पाने के हकदार नहीं हैं। लेकिन धारा 63 के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वह अनुच्छेद 31(2) का अतिक्रमण करती है और वह अनुच्छेद 31क(1)(क) द्वारा व्यावृत नहीं है और यह घोषणा सभी पिटीशनरों के पक्ष में की गई थी। उसके बारे में यह भी घोषणा की गई थी कि वह शून्य है क्योंकि जहां तक अल्पसंख्यक संस्थाओं का सम्बन्ध है उससे अनुच्छेद 30(1) का अतिक्रमण होता है। शेष ऐक्ट के बारे में यह घोषणा की गई थी कि वह विधिमान्य है और उसको जो चुनौती दी गई थी उसे नामंजूर कर दिया गया था। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया था।

5. केरल राज्य और विश्वविद्यालय ने इस निर्णय को चुनौती दी है जहां तक कि उसमें ऐक्ट के उपबन्धों को शून्य घोषित किया गया है और सात प्रतीप अपीलों के पिटीशनरों ने इस निर्णय को चुनौती दी है जहां तक कि उसमें कुछ अन्य उपबन्धों पर किए गए आक्षेप को नामंजूर किया है। पहले हम केरल राज्य और केरल विश्वविद्यालय की ओर से दी गई दलीलों पर विचार-विमर्श करेंगे और उसके बाद बहुसंख्यक संस्थाओं द्वारा दी गई दलीलों और अपील करने वाले मूल पिटीशनरों द्वारा आक्षेपित ऐक्ट के शेष भाग को दी गई चुनौती पर विचार-विमर्श करेंगे।

6. अल्पसंख्यकों के विषय में मुख्य आक्षेप संविधान के अनुच्छेद 30(1) के आधार पर किया गया है। यह खण्ड इस प्रकार है—

> "30. शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार—
>
> (1) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना का और प्रशासन का अधिकार होगा।
>
> X X X"

1970(8) eILR(PAT) SC 13

इसमें यह घोषणा की गई है कि यह अल्पसंख्यक वर्गों का, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, मूल अधिकार है कि वे अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करें। हमारे समक्ष अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले पिटीशनरों ने यह स्वीकार किया है (और निस्संदेह वे इस न्यायालय की नजीरों के सामने इसका खण्डन नहीं कर सकते) कि वह राज्य या विश्वविद्यालय, जिससे ये संस्थाएं सम्बद्ध हैं, शिक्षा के स्तर और उन कालेजों से आशयित शैक्षिक दक्षता के स्तर विहित कर सकते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ सीमा तक अध्यापकों का नियोजन, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और शारीरिक प्रशिक्षण विनियमित किया जा सकता है। उन्होंने जो दलील दी है वह यह है कि यहां इन संस्थाओं के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया गया है और यह मूल अधिकार का अतिक्रमण है। अल्पसंख्यक समुदायों ने अनुच्छेद 31 और 19(1)(च) के अधीन इन संस्थाओं में अपने साम्पत्तिक अधिकारों के संरक्षण के लिए और पश्चातवर्ती अनुच्छेद के उपखण्ड (छ) द्वारा प्रत्याभूत कोई वृत्ति या उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकार के लिए भी दावा किया है। बहुसंख्यक समुदाय ने, जो कि प्राइवेट कालेजों का संस्थापक भी है (उनमें से तीन उदाहरण हमारे समक्ष हैं), अनुच्छेद 30(1) से उत्पन्न होने वाले अधिकार का दावा नहीं किया है किन्तु उन्होंने ऊपर वर्णित अन्य अधिकारों का दावा किया है और इसके अतिरिक्त उन्होंने अल्पसंख्यक संस्थाओं के साथ विधि की दृष्टि में समानता का सरक्षण प्राप्त करने का प्रयास किया है और इस प्रकार अपनी संस्थाओं के स्थापन और प्रशासन में स्वन्तत्रता का दावा किया है।

7. बहुसंख्यक समुदाय की संस्थाओं ने अपनी संस्थाओं के स्थापन और प्रशासन के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ समानता का जो दावा किया है उससे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है कि क्या समानता खण्ड से कोई संरक्षण मिल सकता है जब कि स्वयं संविधान में अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष संरक्षण के लिए पृथक् सत्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वह संरक्षण बहुसंख्यक समुदाय को नहीं दिया जाता। यह अल्पसंख्यक समुदायों को कुछ ऐसे वायदे देने का मामला नहीं है जो तर्कतः बहुसंख्यक समुदाय की संस्थाओं को भी मिलने चाहिए बल्कि यह मामला विशेष प्रकार का संरक्षण देने के लिए है जिसके लिए संविधान में अल्पसंख्यक समुदायों को अलग किया गया है। लेकिन यह प्रश्न हमारे कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि राज्य ने सुनवाई के समय यह घोषणा की थी कि यह आशयित नहीं है कि प्रशासन से संबंधित विधि के उपबंधों को केवल बहुसंख्यक संस्थाओं के विरुद्ध ही प्रवृत्त किया जाए, यदि उन्हें अल्पसंख्यक संस्थाओं के विरुद्ध प्रवृत्त नहीं किया जा सकता। अतः हमें विवादग्रस्त उपबंधों पर प्रथमतः

अनुच्छेद 30(1) के अधीन और द्वितीयतः अनुच्छेद 31 और 19 के अधीन, जहां कहीं भी वे लागू होते हैं, विचार करना हैं।

8. अनुच्छेद 30(1) का इस न्यायालय द्वारा पहले अर्थान्वयन किया जा चुका है। उन मामलों का उल्लेख किए बिना इतना कह देना ही पर्याप्त हैं कि इस खण्ड में दो अधिकार अनुध्यात हैं जो क्रमानुसार अलग-अलग है। पहला अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग की रुचि के अनुसार संस्थाओं की स्थापना का आरम्भिक अधिकार है। यहां स्थापना से किसी संस्था को अस्तित्व में लाना अभिप्रेत है और उसे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ही अस्तित्व में लाया जाना चाहिए। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता यदि कोई एकल परोपकारी व्यक्ति अपने साधनों से संस्था का संस्थापन करता है या सम्पूर्ण समुदाय निधियों का अभिदाय करता है। विधि की दृष्टि में स्थिति समान है और दोनों ही दशाओं में आशय यह होना चाहिए कि ऐसी संस्था संस्थापित की जाए जो अल्पसंख्यक समुदाय के किसी सदस्य द्वारा उस समुदाय के फायदे के लिए हो। यह बात समान रूपेण विसंगत है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के अन्य लोग या बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी इन संस्थाओं का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे अन्य समुदायों से आय प्राप्त होती है और उन्हें संरक्षण का लाभ उठाने के विलग नहीं किया जा सकता।

9. इस अधिकार का दूसरा भाग ऐसी संस्थाओं के प्रशासन से सम्बन्धित है। प्रशासन से संस्था के 'काम-काज का प्रबन्ध' अभिप्रेत है। ऐसा प्रबन्ध नियन्त्रण से मुक्त होना चाहिए जिससे कि संस्थापक या उनके नामनिर्देशिती संस्था को जैसा वह उचित समझे और अपने उन विचारों के अनुसार ढाल सके कि किस प्रकार साधारणतया समुदाय के और विशेषतया उस संस्था के हितों को अच्छी प्रकार लाभ हो सकता है। इस प्रबन्ध का कोई भी भाग प्रत्याभूत अधिकार का अधिक्रमण किए बिना छीना नहीं जा सकता और किसी अन्य निकाय में निहित नहीं किया जा सकता।

10. लेकिन इसका एक अपवाद है और वह यह है कि शिक्षा के स्तर यों प्रबन्ध का भाग नहीं हैं। ये स्तर राष्ट्र से सम्बन्धित हैं और वे देश और उसके लोगों की उन्नति को ध्यान में रखते हुए विहित किए जाते हैं। अतः यदि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए पाठ्य विषय तैयार करते हैं तो उनका अनुसरण किया जाना चाहिए लेकिन यह ऐसे विशेष विषयों के अध्यधीन हो सकता है जिन्हें संस्था शिक्षा देने के लिए चुने और कुछ सीमा तक राज्य अध्यापकों के नियोजन

और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की शर्तें विनियमित कर सकता है। ऐसे विनियमों का प्रभाव यों प्रबन्ध पर प्रत्यक्षतः नहीं पड़ता यद्यपि उनसे अप्रत्यक्षतः प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, शिक्षा, शैक्षणिक स्तर और संसक्त बातें विनियमित करने के राज्य के अधिकार से इंकार नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यक संस्थाओं को शैक्षणिक संस्थाओं से प्रत्याशित श्रेष्ठता के स्तरों से नीचे नहीं गिरने दिया जा सकता अथवा प्रबन्ध के अनन्य अधिकार के आवरण में साधारण शैली का अनुसरण करने से इंकार नहीं करने दिया जा सकता। यद्यपि प्रबन्ध उनके हाथ में ही छोड़ दिया जाना चाहिए तथापि उन्हें दूसरों के साथ मेल खाने के लिए विवश किया जा सकता है। इन प्रस्थापनाओं को **मुम्बई राज्य बनाम बॉम्बे एजूकेशन सोसाइटी**[1], **मद्रास राज्य** बनाम **एस० सी० दोरायराजन**[2] में, **केरल एजूकेशन बिल, 1957 के मामले**[3] में, **सिधराजभाई बनाम गुजरात राज्य**[4], **कटरा एजूकेशन सोसाइटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[5] **गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद बनाम कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर और अन्य**[6] और **रेवरेण्ड फादर डब्ल्यू० प्रूस्ट और अन्य बनाम बिहार राज्य**[7] में दृढ़ता से प्रतिपादित किया जा चुका है। अन्तिम मामले में यह कहा गया था कि अधिकार को न तो बढ़ाना और न ही कम करने की आवश्यकता है। संविधान में प्रशासन के बारे में कहा गया है और वह स्पष्टतः अल्पसंख्यक संस्थाओं के हाथ में छोड़ दिया जाना चाहिए और इससे अधिक कुछ नहीं होना चाहिए। इन सिद्धान्तों को लागू करते हुए अब हम ऐक्ट के उपबन्धों पर विचार करेंगे।

11. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस ऐक्ट में 78 धाराएं हैं जो 9 अध्यायों में रखी गई हैं। अध्याय 8 का शीर्षक है 'प्राइवेट कालेज' और अध्याय 9 का शीर्षक है 'प्रकीर्ण'। अध्याय 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (धारा 1) और परिभाषाएं (धारा 2) शामिल हैं। हमारा सम्बन्ध धारा 2 और अध्याय 8 और 9 में कुछ परिभाषाओं से है। अन्य अध्यायों में विश्वविद्यालय का गठन अधिकथित किया गया है और उसमें उससे सम्बन्धित बातें शामिल हैं। उन पर कोई विवाद नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सावधानी से

---

[1] (1955) 1 एस० सी० आर० 568.

[2] (1951) 1 एस० सी० आर० 525.

[3] (1959) एस० सी० आर० 995.

[4] (1963) 3 एस० सी० आर० 837.

[5] (1966) 3 एस० सी० आर० 328.

[6] (1963) सप्लीमेण्ट 1 एस० सी० आर० 112.

[7] (1969) 2 एस० सी० आर० 73=[1969] 1 उम० नि० प० 843.

आक्षेपित उपबन्धों का सार दिया है और हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसी बात को पुनः दोहराएं। हम केवल संक्षेप में महत्वपूर्ण पहलुओं पर ही प्रकाश डालेंगे। ऐक्ट में 'कालेज' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या सम्बद्ध ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसमें शिक्षण कानूनों, अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के अनुसार दिया जाता है। ये विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। 'शैक्षणिक अभिकरण' से कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति निकाय अभिप्रेत है जो किसी प्राइवेट कालेज की स्थापना और अनुरक्षण करता है। 'प्राइवेट कालेज' से सरकार या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी अभिकरण द्वारा अनुरक्षित और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज अभिप्रेत हैं। 'प्राधानाचार्य' से किसी कालेज का प्रधान अभिप्रेत है। 'अध्यापक' से, जैसे कि ऐक्ट में उपयोग किया गया है, कोई प्रधानाचार्य, प्राचार्य, सहायक प्राचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, प्रशिक्षक या शिक्षण देने वाला या अन्वेषण का पर्यवेक्षण करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसकी कालेजों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी में नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित की गई हो। 'मान्यताप्राप्त अध्यापक' से किसी सम्बद्ध संस्था में अध्यापक के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित की गई हो। 'कालेज अध्यापक' और 'मान्यता-प्राप्त अध्यापक' काफी समान गुणधर्मा हैं किन्तु अधिकारभेद में कोई भ्रम नहीं है जो कि अन्यथा हो सकता है। स्वयं इन परिभाषाओं के सम्बन्ध में कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता किन्तु अध्याय 8 और 9 के उपबन्धों के, जिनका अभी उल्लेख किया जाना है, सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता के आग्रह के बारे में यह दावा किया गया है कि वह प्रबन्ध स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप है। अध्याय 8 में धारा 47 से 61 तक हैं। इसका आरम्भ 'निगमित प्रबन्ध' की परिभाषा से होता है। 'निगमित प्रबन्ध' से ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति निकाय अभिप्रेत है जो एक से अधिक प्राइवेट कालेजों का प्रबन्ध करता है। धारा 48 और 49 क्रमशः (क) निगमित प्रबन्ध के अधीन न आने वाले और प्राइवेट कालेजों के लिए प्रबन्ध निकाय और (ख) निगमित निकाय के अधीन प्राइवेट कालेजों के लिए प्रबन्ध परिषद् के सम्बन्ध में हैं। दोनों ही दशाओं में शिक्षा अभिकरण से (इस निबन्धन से हमारा संकेत किसी प्राइवेट कालेज के शैक्षणिक अभिकरण तथा निगमित प्रबन्ध अर्थात् ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति निकाय की ओर है जो एक से अधिक प्राइवेट कालेजों का प्रबन्ध करता है) यह अपेक्षित है कि वह प्राइवेट कालेज के लिए शासी निकाय या निगमित प्रबन्ध के अधीन प्राइवेट कालेजों के लिए प्रबन्ध परिषद् की स्थापना करे। दोनों धाराओं में एक ही सिद्धान्त अन्तर्निहित है और दोनों में अन्तर केवल इसलिए है क्योंकि एक धारा में एक ही संस्था है और दूसरे में एक से अधिक संस्थाएं हैं। दोनों ही धाराओं में 7 उपधाराएं हैं। इन

उपबन्धों के अधीन शैक्षणिक अभिकरण या निगमित प्रबन्ध को क्रमशः शासी निकाय या प्रबन्ध परिषद् की स्थापना करनी होती है। इन धाराओं में दोनों निकायों का गठन दिया हुआ है। शैक्षणिक अभिकरण द्वारा स्थापित शासी निकाय ग्यारह सदस्यों से मिलकर बनता है और प्रबन्ध परिषद् 21 सदस्यों से मिलकर बनती है। शासी निकाय के ग्यारह सदस्य ये हैं—(i) प्राइवेट कालेज का प्रधानाचार्य, (ii) प्राइवेट कालेज का प्रबन्धक, (iii) कानूनों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उस निमित्त नामनिर्देशित व्यक्ति, (iv) सरकार द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति, (v) प्राइवेट कालेज के स्थायी अध्यापकों में से विश्वविद्यालय के कानूनों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया गया कोई व्यक्ति और (vi—xi) शैक्षणिक अभिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट छह व्यक्तियों से अनधिक व्यक्ति। प्रबन्ध परिषद् का गठन बारी-बारी से प्राइवेट कालेजों के प्रधानाचार्यों, प्राइवेट कालेजों के प्रबन्धक, विश्वविद्यालय और सरकार के नामनिर्देशितियों, जैसे कि ऊपर वर्णित किए गए हैं, अध्यापकों के दो चयन किए गए प्रतिनिधि और शैक्षणिक अभिकरण द्वारा नामनिर्देशित 15 सदस्यों से अनधिक सदस्यों से मिलकर होता है। ऐक्ट में 'शैक्षणिक अभिकरण' की बजाए 'निगमित प्रबन्ध' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए था किन्तु फिर भी अर्थ बहुत स्पष्ट है।

12. अतः यह प्रकट होता है कि शैक्षणिक अभिकरण या निगमित प्रबन्ध से बिल्कुल भिन्न एक निकाय स्थापित किया जाता है। दोनों उपधाराओं की उपधारा (2) में इन निकायों को शाश्वत उत्तराधिकार और एक ही मुद्रा वाला निगमित निकाय बनाया गया है। यथा स्थिति कालेज या कालेजों का प्रबन्धक, दोनों ही दशाओं में अध्यक्ष होता है [उपधारा (3)]। उसके उपरान्त उपधारा(4) में यह कहा गया है कि सदस्य उसके गठन की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे। इसके बाद उपधारा (5) में यह कहा गया है—

> *"शासी निकाय/(प्रबन्ध परिषद्) का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्राइवेट कालेज (निगमित प्रबन्ध के अधीन सभी प्राइवेट कालेजों) का इस ऐक्ट तथा तद्धीन बनाए गए कानूनों, अध्यादेशों, विनियमों, उपविधियों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार प्रशासन करे।"

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

> "It shall be the duty of the Governing body/(Managing council) to administer the private college (all the private colleges under the corporate management) in accordance with the provisions of this Act and the Statutaes Ordinances Regulations; Bye-laws and Orders made thereunder".

हमने यहां पर दोनों उपबन्धों को मिलाने का प्रयत्न किया है। शादी निकाय की दशा में इस उपधारा को कोष्ठकों में दिए नए शब्दों का लोप करके पढ़ना होता हैं और प्रबन्ध परिषद् की दशा में रेखांकित शब्दों का लोप करना होता है और उपधारा को कोष्ठकों में दिए गए शब्दों के साथ पढ़ना होता है।

13. इसके बाद उपधारा (6) में यह अधिकथित किया गया है कि शासी निकाय (प्रबन्ध परिषद्) की शक्तियों और कर्तव्य, उसके सदस्यों का हटाया जाना और उसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें उसकी शक्तियों का प्रत्यायोजन भी शामिल है, कानूनों द्वारा विहित किए जाएंगे। उपधारा (7) में यह अधिकथित किया गया है कि दोनों निकायों के विनिश्चय बैठकों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के आधार पर किए जाएंगे।

14. इन धाराओं को उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 30(1) के भागत: अधिकारातीत घोषित किया गया था क्योंकि इससे संस्थापकों का अपनी संस्थाओं का प्रशासन करने का अधिकार छीन लिया गया है। यह स्पष्ट है कि शासी निकाय या प्रबन्ध परिषद् के बन जाने के पश्चात् सस्थापकों अथवा समुदाय का भी प्रशासन में कोई हाथ नहीं होता है। दोनों निकायों में संस्थाओं का पूर्ण प्रशासन निहित किया गया है। इन निकायों का शैक्षणिक अभिकरण या निगमित प्रबन्ध से भिन्न विधिक अस्तित्व है। ये निकाय प्रशासन के मामले में संस्थापकों को उत्तरदेय नहीं हैं। उनकी शक्तियां और कृत्य विश्वविद्यालय की विधियों द्वारा विहित किए जाते है तथा सदस्यों का हटाया जाना भी विश्वविद्यालय के कानूनों द्वारा प्रशाशित होता है। उपधारा (2), (4), (5) और (6) में स्पष्टतः प्रबन्ध और प्रशासन दो निकायों के हाथों में निहित किया गया है और उसके लिए अधिदेश विश्वविद्यालय से प्राप्त होते हैं।

15. इन उपबन्धों को व्यावृत्त करने का प्रयत्न करते हुए श्री मोहन कुमारमंगलम् ने हमारा ध्यान केवल दो तथ्यों की ओर आकर्षित किया। पहला तथ्य यह है कि शैक्षणिक अभिकरणों या निगमित प्रबन्ध के नामनिर्देशितियों को नियन्त्रण का अधिकार प्राप्त है, और यह कि त्रुटि; यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के कानूनों, अध्यादेशों, विनियमों, उपविधियों और आदेशों में पाई जानी चाहिए न कि ऐक्ट के उपबन्धों में। ये दोनों दलीलें हमें स्वीकार्य नहीं है। संविधान से यह अनुध्यात है कि प्रशासन विशिष्ट समुदाय के हाथों में होना चाहिए। लेकिन चाहे यह कितना भी वांछनीय हो कि धारा 48 और 49 में वर्णित प्रकार के

नामनिर्देशित सदस्यों को शासी निकाय या प्रबन्ध परिषद् के नामनिर्देशितियों के साथ सहयोजित किया जाए तथापि, यह स्पष्ट है कि प्रबन्ध में उनका काफी अधिकार होना चाहिए। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां उनका अधिकार प्रबल हो सकता है। जो भी हो प्रशासन एक सुभिन्न निगमित निकाय के हाथ में होता है, जो किसी भी प्रकार से शैक्षणिक अभिकरण या निगमित प्रबन्ध को उत्तरदेय नहीं होता। संस्थापकों का नामनिर्देशित या चयन किए गए सदस्यों के सिवाय उन सदस्यों के जो उनके द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं, चयन में कोई हाथ नहीं होता। अतः यह स्पष्ट है कि धारा 48 और 49 की उपधारा (2), (4) और (6) के बल से अल्पसंख्यक समुदाय अपने द्वारा संस्थापित संस्था को प्रशासित करने का अधिकार खो बैठता है। उपधारा (5) भी शासी निकाय या प्रबन्ध परिषद् को संस्था के प्रशासन में विश्वविद्यालय के अधिदेशों का अनुसरण करने के लिए विवश करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानूनों, अध्यादेशों, विनियमों, नियमों, उपविधियों और आदेशों का भी अनुच्छेद 30(1) के प्रकाश में परीक्षा की जा सकती है किन्तु विश्वविद्यालय को इस प्रकार दी गई सामान्य शक्ति प्रशासन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह स्थिति ऐक्ट के अन्य उपबन्धों से स्पष्ट हो जाती है जिनका अब उल्लेख करने की आवश्यकता है।

16. धारा 53 की उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन विश्वविद्यालय के सिण्डीकेट को प्रधानाचार्य के चयन में शासी निकाय या प्रबन्ध परिषद् की कार्यवाई को भी प्रतिषिद्ध करने की शक्ति प्रदत्त की गई। इसी प्रकार उपधारा (4) के अधीन शैक्षणिक अभिकरण या निगमित प्रबन्ध से अध्यापकों का चयन करने का अधिकार छीन लिया गया है। उपधारा (4) के अधीन गुणागुण अथवा उपधारा (7) में ज्येष्ठता एवं योग्यता पर आग्रह करने से स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता। इस शक्ति का प्रयोग शैक्षणिक अभिकरण या निगमित प्रबन्ध द्वारा नहीं किया जाता बल्कि एक सुभिन्न और स्वशासित निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के सिण्डीकेट के नियन्त्रण के अधीन किया जाता है। निस्संदेह उपधारा (9) में शासी निकाय या प्रबन्ध परिषद् की कार्रवाई द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति को सिण्डीकेट से अपील करने का अधिकार दिया गया है, इस प्रकार सिण्डीकेट को इन मामलों में अन्तिम और अनन्य प्राधिकारी बनाया गया है। इसके साथ धारा 56 की उपधारा (2) और (4) में कुलपति और सिण्डीकेट की शक्ति संलग्न है। ये उपधाराएं इस प्रकार हैं—

1970(8) eILR(PAT) SC 13

*"56. प्राइवेट कालेजों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें—

(1) ... ...

(2) किसी प्राइवेट कालेज के किसी अध्यापक को कुलपति की पूर्व मंजूरी के बिना शासी निकाय या प्रबन्ध परिषद् द्वारा पदच्युत नहीं किया जाए, हटाया नहीं जाएगा या पंक्ति में कम नहीं किया जाएगा अथवा ऐसी पूर्व मंजूरी के बिना शासी निकाय प्रबन्ध परिषद् द्वारा 15 दिन से अधिक निरन्तर कालावधि के लिए निलम्बनाधीन नहीं रखा जाएगा।

(3)... ... ...

(4) किसी अध्यापक को, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है, सिण्डीकेट से अपील करने का अधिकार होगा और सिण्डीकेट को सदोष हटाए जाने या पदच्युत किए जाने की दशाओं

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"56. Conditions of service of teachers of private colleges.

(1) ... ...

(2) No teacher of a private college shall be dismissed, removed or reduced in rank by the governing body or managing council without the previous sanction of the Vice-Chancllor or placed under suspension by the governing body or managing council for a continous period exceeding fifteen days without such previous sanction.

(3) ... ...

(4) A teacher against whom disciplinary action is taken shall have a right of appeal to the Syndicate, and the Syndicate shall have power to order reinstatement of the teacher in cases of wrongful removal or

में अध्यापक को पुनः बहाल करने का आदेश देने और ऐसे अन्य प्रत्युपाय करने का आदेश देने की शक्ति होगी जैसे वह उचित समझे और यथास्थिति शासी निकाय या प्रबन्ध परिषद् उस आदेश का अनुपालन करेगी।"

इन उपबन्धों के अधीन शासी निकाय या प्रबन्ध परिषद् से अनुशासनिक कार्यवाई करने का अधिकार स्पष्टतया ले लिया गया है और वह विश्वविद्यालय को प्रदत्त किया गया है। इसके बाद धारा 58 है जो इस प्रकार है—

*"58. विधानसभा आदि की सदस्यता अध्यापकों को निर्रहित नहीं बनाएगी—

किसी प्राइवेट कालेज के अध्यापक को ऐसे अध्यापक बने रहने के लिए केवल इस आधार पर निर्रहित नहीं किया जाएगा कि वह राज्य की विधान सभा या संसद् या किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य निर्वाचित हो गया है :

परन्तु कोई अध्यापक, जो राज्य की विधानसभा या संसद् का सदस्य है, उस कालावधि के दौरान छुट्टी पर होगा जिस कालावधि में यथास्थित विधान सभा या संसद् सत्र में हो।"

---

dismissal and to order such other remedial measures as it deems fit, and the governing body of managing council, as the case may be, shall comply with the order."

*"58. Membership of Legislative Assembly, etc., not to disqualify teachers—

A teacher of a private college shall not be disqualified for continuing as such teacher merely on the ground that he has been elected as a member of the Legislative Assembly of the State or of Parliament or of a local authority :

Provided that a teacher who is a member of the Legislative Assembly of the State or of Parliament shall be on leave during the period in which the Legislative Assembly or Parliament, as the case may be, is in session".

1970(8) eILR(PAT) SC 13

इससे राजनैतिक दल अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रशासन में दिलचस्पी लेने लग जाते हैं और ये अल्पसंख्यक संस्थाएं ऐसा हस्तक्षेप पसंद नहीं करतीं। जब इसके अलावा नामनिर्देशित सदस्यों का चयन धारा 48 और 49 की उपधारा (1) (डी) द्वारा सरकार या विश्वविद्यालय के हाथ में हो तो यह स्पष्ट है कि उन व्यक्तियों से भिन्न, जिसमें संस्थापक समुदाय को विश्वास है, व्यक्तियों द्वारा हस्तक्षेप करने की काफी गुंजाइश है।

17. इससे बढ़ कर एक और उपबन्ध है और वह है धारा 63 (1)। वह धारा इस प्रकार है—

*"63. प्राइवेट कालेजों के प्रबन्ध का विनियमन करने की शक्ति।

(1) जब कभी सरकार का विश्वविद्यालय से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या किसी अन्य जानकारी पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी प्राइवेट कालेज का कामकाज निम्नलिखित सभी कारणों से या किसी एक कारण से नहीं चलाया जा सकता, अर्थात्

(क) तीन मास से अन्यून कालावधि के लिए कालेज के कर्मचारिवृन्द के सदस्यों के वेतन का संदाय करने में व्यतिक्रम।

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"63. Power to regulate the management of private colleges.

(1) Whenever Government are satisfied on receipt of a report from the University or upon other information that a grave situation has arisen in which the working of a private college cannot be carried on for all or any of the following reasons, namely :—

(a) default in the payment of the salary of the members of the staff of the college for a period of not less than three months;

(ख) दीर्घावकाश के दौरान कालेज के बन्द रहने की दशा में के सिवाय एक मास से अन्यून कालावधि के लिए कालेज का जानबूझ कर बन्द किया जाना;

(ग) इस ऐक्ट या तदधीन पारित कानूनों या अध्यादेशों या विनियमों या नियमों या उपविधियों या विधिपूर्ण आदेशों द्वारा कालेज के प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी पर अधिरोपित सभी कर्त्तव्यों या उनमें से किसी कर्त्तव्य करने में लगातार व्यतिक्रम या इंकार करना;

और प्राइवेट कालेज के हित में ऐसा करना आवश्यक हो तो सरकार यथास्थिति शासी निकाय या प्रबन्ध परिषद् धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कालेज के प्रबन्धक और शैक्षणिक अभिकरण को, यदि कोई हो, प्रतिस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और उस हेतुक पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा विश्वविद्यालय को ऐसे प्राइवेट कालेज के कामकाज को अस्थायी रूप से दो वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त कर सकती है;

(b) wilful closing down of the college for a period of not less than one month except in the case of the closure of the college during a vacation;

(c) persistent default or refusal to carry out all or any of the duties imposed on any of the authorities of the college by this Act or the Statutes or Ordinances or Regulations or Rules or Bye-laws or lawful orders passed thereunder;

and that in the interest of private college it is necessary so to do, the Government may, after giving the governing body or managing council, as the case may be, the manager appointed under sub-section (1) of section 50 and the education agency, if any, of the college a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action and after considering the cause, if any, shown, by order, appoint the University to manage the affairs of such private college temporarily for a period not exceeding two years;

परन्तु ऐसे मामलों में जहां विश्वविद्यालय से प्राप्त रिपोर्ट से अन्यथा इस उपधारा के अधीन कार्यवाही की जाती है वहां ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व उससे परामर्श किया जाएगा।

X X X"

18. इस धारा के शेष उपबन्धों में प्रबन्ध के लिए विस्तृत प्रक्रिया अधिकथित की गई है जिसमें शासी निकाय या प्रबन्ध परिषद् को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन सम्पत्तियों के कब्जे का अधिकार विश्वविद्यालय को अन्तरित किया गया है। उच्च न्यायालय ने यह संकेत ठीक ही किया है कि इस धारा में अनुच्छेद 31(2) और (2क) के अन्तर्गत सम्पत्तियों की अनिवार्य अध्यपेक्षा का उपबन्ध किया गया है। इसके प्रभावपूर्ण होने के लिए धारा में उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है और वह अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसलिए अनुच्छेद 31क (1) (ख) की व्यावृत्ति उपलभ्य नहीं है।

19. श्री मोहन कुमारमंगलम् ने शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के कुछ उद्धरण हमारे सामने रखे हैं जिनमें आयोग ने विश्वविद्यालय और कालेजों में अध्यापन कार्य में लगे हुए कर्मचारीवृन्द की सेवा की शर्तों और अध्यापन के स्तरों के बारे में सुझाव दिए हैं। श्री कुमारमंगलम् ने अध्यापकों की प्रास्थिति, अध्यापन की पद्धतियों और स्तरों में सुधार लाने के लिए सुझावों के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है। उसने यह दलील दी है कि केरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट द्वारा जो कुछ किया गया है वह अध्याय 8 और 9 में और विशेषतया आक्षेपित धाराओं में इन्हीं सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐक्ट के उपबन्ध सद्भावपूर्वक और शिक्षा के हित में बनाए गए थे किन्तु दुर्भाग्यवश वे इन संस्थाओं के प्रशासन पर प्रभाव डालते हैं और संस्थापकों से वह अधिकार बलात् छीन लेते हैं जिसके बारे में संविधान में यह अपेक्षित है कि वह अधिकार उनका होना चाहिए। ये उपबन्ध यद्यपि हितकर हैं तथापि सांविधानिक प्रत्याभूति के समक्ष टिक नहीं सकते।

Provided that in cases where action is taken under this sub-secton otherwise than on a report from the University, it shall be consulted before taking such action.

X X X"

अतः हमें यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि उन दो रिपोर्टों का उल्लेख किया जाए।

20. इन उपबन्धों के, जिन्हें सफलतापूर्वक चुनौती दी गई है, उपरोक्त विशलेषण के परिणामस्वरूप यह प्रकट होता है कि उस उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुसार सही स्थिति का मूल्यांकन करके ठीक ही किया है। हम उच्च न्यायालय से सहमति प्रकट करते हैं कि धारा 48 और 49 की उपधारा (2) और (4) अनुच्छेद 30(1) के अधीकारातीत हैं। निस्संदेह हमारा यह विचार है कि इन दोनों धाराओं की उपधारा (6) भी अधिकारातीत है। इनसे अन्य दो उपधाराओं के मुकाबले में अधिक अतिक्रमण होता है जिनका वे भाग हैं। हम इस सम्बन्ध में भी सहमति प्रकट करते हैं कि धारा 53 की उपधारा (1), (2), (3) और (9), धारा 5 की उपधारा (2) और (4) अधिकारातीत हैं क्योंकि वे धारा 48 और 49 के अन्तर्गत आती हैं। हम इन उपबन्धों और इनकी तुलना में अनुच्छेद 30 (1) के सम्बन्ध में कोई राय अभिव्यक्त नहीं करते हैं। हम इस बात से भी सहमत हैं कि धारा 58 (जहां तक कि इससे ऐसी निरर्हता हटती हो, जिससे संस्थापक सहमत नहीं होना चाहेंगे) और धारा 63 अल्पसंख्यक संस्थाओं के सम्बन्ध में अनुच्छेद 30(1) के अधिकारातीत हैं।

21. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ये उपबन्ध (धारा 63 को छोड़ कर) अनुच्छेद 19 (1) (च) का अतिक्रमण करते हैं जहां तक बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदायों के सम्बन्ध में पिटीशनर भारत के नागरिक हैं। जहां तक कि बहुसंख्यक संस्थाओं का सम्बन्ध है, इस पर पहले चर्चा की जा चुकी है। बहुसंख्यक संस्थाओं ने अनुच्छेद 14 की सहायता पाने का प्रयास किया है और विभेद की शिकायत की है। लेकिन कार्यवाही के बाद के प्रक्रम पर श्री मोहन कुमारमंगलम् ने यह कहा था कि उसे यह कहने के लिए निदेश दिए गए हैं कि यदि किसी उपबन्ध को अल्पसंख्यक संस्थाओं को लागू न होने वाला अभिनिर्धारित किया जाए तो वह बहुसंख्यक संस्थाओं के विरुद्ध भी प्रवृत्त नहीं किया जाएगा। अतः इस विषय पर अनुच्छेद 19 (1) (च) के अधीन न केवल अल्पसंख्यक संस्थाओं के सम्बन्ध में बल्कि बहुसंख्यक संस्थाओं के सम्बन्ध में भी विचार करने के कार्य से हमें छुटकारा मिल जाता है। धारा 63 के उपबन्ध दोनों प्रकार की संस्थाओं पर एक जैसा प्रभाव डालते हैं और उन्हें दोनों के सम्बन्ध में अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।

22. परिणामतः अपीलाधीन निर्णय को बहाल रखा जाता है। केरल राज्य सरकार और विश्वविद्यालय की अपीलें खर्चे सहित खारिज की जाती हैं।

1970(8) eILR(PAT) SC 13

एक सुनवाई की फीस दी जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों से हम उन सात अपीलार्थियों की दलीलों को स्वीकार नहीं करते हैं जिन्होंने धारा 48(6) और 49(6) के सिवाय ऐक्ट के कुछ अन्य उपबन्धों को चुनौती दी है और जो कुछ उच्च न्यायालय ने कहा है उसे दोहराना आवश्यक नहीं समझते हैं। उन धाराओं के सम्बन्ध के सिवाय ये अपीलें बिना खर्च खारिज की जाती हैं।

अपीलें खारिज की गईं।

दें०